कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 20रु.
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 10रु.

277

न्यायालय- श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर (म०प्र०)

= =

श्री ... द्वारा आज दि. 7/9/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- ओंमकार वल्द भगवन्त कुर्मी उम्र-63 वर्ष निग० 3187-I/16

2- बाबू लाल वल्द भगवन्त कुर्मी उम्र-58 वर्ष

दोनों निवासी- ग्राम जेरई तहसील व जिला

सागर (म०प्र०)

--- निगरानीकर्तागण

|| विरुद्ध ||

========

मध्य प्रदेश शासन --- प्रति अपी०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं० 1959.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानीकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करते है :-

अधीनस्थ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग सागर के समक्ष प्रश्नाधीन अपील क्रमांक- 511/बी- 121 / 2009-2010 पारित आदेश दिनांक- 8-10-2013 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय बोर्ड के समक्ष निम्न तथ्य एवं आधारों पर आधारित निगरानी प्रस्तुत है :-

1- यहकि माननीय अपर आयुक्त के समक्ष कलेक्टर के पुनरीक्षण आदेश से परिवेदित होकर संभागायुक्त को अपील प्रस्तुत की थी। कलेक्टर को तहसीलदार व्रत्त नस्यावली के द्वारा अवैध रूप से निरस्त राजस्व दुरूस्ती प्रकरण (नक्शा दुरूस्ती) प्रकरण निरस्त करने से [illegible] रिवीजन जिलाधीश महोदय को पेश किया गया था।

2- अपीलार्थीगण के पैतृक खसरा नम्बर 360, 358, रकबा क्रमश/ 1.99, 1.21, जिसमें बंधोबस्ती पूर्व के खसरा नंबर 250/1, 250/2, दोनों का रकबा 3.20 हेक्टेयर के नक्शा में से बीच में से खुरई बीना राजमार्ग निकल जाने से उपरोक्त खसरा के एक तरफ का

ओंकार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3187–एक / 16 **जिला** सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
23-9–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन के पेनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क ग्राह्यता एवं धारा–5 के आवेदन पर तर्क सुने। 2–आवेदक अधिवक्ता ने यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 511 / बी–121 / 2009–10 में पारित आदेश 8.10.13 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि निगरानी मेमों के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा उसके साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को दिनांक 8.10.13 की जानकारी दिनांक 14.9.16 को हुई। आवेदक अपने अधिवक्ता श्री हरदास कुर्मी	

के पास गया और अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण में पारित आदेश के संबंध में जानकारी ली।जानकारी मिलने पर तत्काल दिनांक 15.9.16 को नकल हेतु आवेदन दिया और उसी दिन नकल प्राप्त कर राजस्व मण्डल के अधिवक्ता से संपर्क कर निगरानी प्रस्तुत की। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 14.9.16 से निगरानी की अवधि मान्य की जाना चाहिये। अतः आवेदक अधिवक्ता के तर्क से संतुष्ट हो ने के कारण अधिनियम धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि मौजा जरारा पटवारी हल्का नंबर 17 खसरा नंबर 358, 307, 360 रकवा कमशः 1.99 है0 1.21 है0 जुमला 3.20 है0 स्थित है। जिसका बंदोबस्त के पूर्व खसरा नंबर 250/2, 250/1 था जिनका रकबा कुल 3.20 है0 था। उपरोक्त रकवें के नक्शा में बंदोबस्त के दौरान त्रुटि की गई है। जिसके सुधार हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पुनरीक्षण किया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के आदेश की अनुशंसा करते हुये अपीलार्थीगण का पुनरीक्षण निरस्त कर आलोच्य आदेश पारित किया। अपीलार्थी का रकवा राजस्व रिकार्ड में यथावत है परंतु नक्शा में त्रुटि की

गई है, जिसे सुधारा जाना अति आवश्यक है । आवेदकगणके खसरा नंबर 360 में से रोड निकल जाने के कारण उसका कुद भाग सड़क के दूसरी तरफ आ जाने के कारण बंदोबस्त के दोरान उसका कोइ नंबर नहीं था जिसके कारण उपरोक्त नक्शा त्रुटिपूर्ण हो गया हैं जबकि आवेदकगण पूर्वजों के समय से ही उपरोक्त भूमि पर काबिज हें और आज भी हैं । सड़क के दूसरी तरफ का भाग खसरा नंबर 360 का भाग हे जिसका नंबर दिया जाना अति आवश्यक है। तहसीलदार ने आवेदक का प्रकरण निरस्त कर दिया जिससे से परिवेदित होकर कलेक्टर जिला सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश मान्य करते हुये आवेदक की अपील निरस्त कर दी जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो उनके द्वारा दिनांक 8.10.13 को निरस्त किया गया जिससे परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के पेतृक खसरा नम्बर 360, 358 रकवा कम्शः 1.99, 1.21 जिसमें बंदोबस्ती पूर्व के खाा नंबर 250/1, 250/2 दोनों का

रकवा 3.20 हैक्टर के नक्शा में से बीच में से खुरई बीना राजमार्ग निकल जाने से उपरोक्त खसरा के एक तरफ का भाग रकवा करीब 40 डिसमिल का नम्बर नहीं दिये जाने से उपरोक्त राजस्व दुरस्ती का प्रकरण संस्थित किया गया था जो तहसीलदार वृत्त नरयावली द्वारा अवेध रूप से निरस्त किया गया था। उनके द्वारा अपनी बहस में आगे कहा गया है कि नवीन खसरा बंबर 360 की भूमि के उत्तर दिशा में शासकीय रास्ता निकाल दिया है जिस कारण से खसरा नंबर 360 दो भागों में विभक्त हो गया है खसरा नंबर 360 के बीचों बीच शासकीय रास्ता निकाले जाने से रोड के उस तरफ यानी उत्तर दिशा वाले भाग का कोई नंबर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं किया गया है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

6—शासकीय पेनल अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश सही है उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे'।

7— मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा

अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

8— आवेदक का मुख्य मुददा यह है कि आवेदक की भूमि के खसरा 360 के बीचों बीच शासकीय रास्ता निकाले जाने से रोड के उस तरफ यानी उत्तर दिशा वाले भाग का कोई नया खसरा नंबर नहीं दिये जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जबकि यह शेष बची भूमि 40 डिसमिल आवेदक के ही हिस्से की है । अतः अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 8.10.13 एवं अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 10.8.10 एवं तहसीलदार वृत्त नरयावली का आदेश दिनांक 12.6.09 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नक्शा सुधार के आदेश पारित कर रोड के उत्तर दिशा वाले भाग का खसरा नंबर 360/1 रकवा 40 डिसमिल एवं दक्षिण दिशा वाले भाग का नंबर 360/2 राजस्व अभिलेख में दर्ज कर आदेश पारित करें। आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य